भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 485

जिसका उत्तर दिनांक 06.02.2020 को दिया जाना है

नाभिकीय ऊर्जा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देना

485. श्रीमती शांता क्षत्री :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए द्वार खोलने पर विचार कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि यह भारतीय नाभिकीय ऊर्जा नीति में एक बड़ा परिवर्तन होगा और इसके परिणामस्वरूप देश की नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों हेतु द्वार खुल जाएगा जिससे भारतीय नाभिकीय संस्थाएं सुरक्षा तथा संरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित हो जाएंगी; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) जी, नहीं । वर्तमान नीति (सरकार की समेकित एफडीआई नीति) परमाणु ऊर्जा को निषिद्ध क्षेत्रों की श्रेणी में रखती है । तथापि, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों और अन्य संबद्ध सुविधाओं के लिए उपकरण के विनिर्माण करने और अन्य आपूर्तियाँ उपलब्ध कराने के लिए नाभिकीय उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर कोई प्रतिबंध नहीं है ।

(ख) तथा (ग) उपरोक्त (क) के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता ।

*****